

न्यायालय:- सदाशिव दांगोडे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प.नि. खरगोन मध्यप्रदेश
कमांक 63 /आप./2025 खरगोन, दि. 16/01/2025

:: आदेश ::

मैं सदाशिव दांगोडे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन जिला-मण्डलेश्वर (म.प्र.) इस आदेश द्वारा न्यायिक जिला मण्डलेश्वर में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों को माह फरवरी-2025 में आने वाले समस्त सार्वजनिक अवकाशों में न्यायिक कार्य के सुचारु रूप से संचालन हेतु उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथियों के लिए अधिकृत किया जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्न दर्शित तिथियों को दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी का सम्पादन करेंगे।

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पद	माह	रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक
1	श्री रोहित कुमार जेएमएफसी खरगोन	फरवरी	15
2	श्रीमती सविता वर्मा जेएमएफसी खरगोन	फरवरी	16
3	श्री राज पांडे जेएमएफसी खरगोन	फरवरी	3, 26
4	सुश्री प्रियंवदा शुक्ला जेएमएफसी खरगोन	फरवरी	1, 2
5	श्रीमती प्रियंका दांगी जेएमएफसी, खरगोन	फरवरी	9, 23
6	श्री राजेंद्र कुमार अहिरवार जेएमएफसी भीकनगांव	फरवरी	9, 15, 16, 26
7	सुश्री साक्षी शुक्ला जेएमएफसी भीकनगांव	फरवरी	1, 2, 3, 23
8	श्री महेन्द्र सिंह जेएमएफसी मण्डलेश्वर	फरवरी	1, 2, 3, 23
9	सुश्री शिवांगनी भट्ट जेएमएफसी मण्डलेश्वर	फरवरी	9, 15, 16, 26
10	सुश्री दिव्या विश्वकर्मा जेएमएफसी महेश्वर	फरवरी	1, 2, 3, 23
11	सुश्री याशमी अग्रवाल जेएमएफसी महेश्वर	फरवरी	9, 15, 16, 26
12	श्री विवेक जैन जेएमएफसी कसरावद	फरवरी	9, 15, 16, 26
13	सुश्री इतीशा सांघवी जेएमएफसी कसरावद	फरवरी	1, 2, 3, 23
14	सुश्री विकसीता मरकाम जेएमएफसी, बडवाह	फरवरी	3, 15
15	श्रीमती आरती सिंह, जेएमएफसी, बडवाह	फरवरी	1, 2, 23
16	श्री मुकेश कुमार कौरी जेएमएफसी, बडवाह	फरवरी	9, 16, 26
17	सुश्री पूर्वी तिवारी जेएमएफसी, सनावद	फरवरी	1, 2, 3, 23

18	श्री योगेश चालीसा जेएमएफसी, सनावद	फरवरी	9, 15, 16, 26
----	--------------------------------------	-------	---------------

नोट:-

- 1- जहाँ एक से अधिक न्यायिक अधिकारी हों, वे आपस में लिखित में सहमति बनाकर रिमांड ड्यूटी परिवर्तित करने की लिखित सूचना माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, प.निमाड मण्डलेश्वर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजेंगे तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुमति के उपरांत ही रिमांड ड्यूटी परिवर्तित मानी जायेगी।
- 2- यदि किसी न्यायिक अधिकारी को, जिसकी रिमांड ड्यूटी लगी है तथा उसे अपरिहार्य कारणवश अवकाश में जाना आवश्यक है तो वह उसी क्रम में आगे रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी को लिखित सूचना देकर एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुमति प्राप्त होने पर ही अवकाश का उपभोग करेंगे।
- 3- माह में यदि कोई अवकाश घोषित होता है तो खरगोन मुख्यालय पर - श्री राज पांडे जेएमएफसी खरगोन, मण्डलेश्वर मुख्यालय पर - सुश्री शिवांगनी भट्ट जेएमएफसी मण्डलेश्वर, कसरावद मुख्यालय पर - श्री विवेक जैन, जेएमएफसी कसरावद, बडवाह मुख्यालय पर - श्रीमती विक्सीता मरकाम, जेएमएफसी बडवाह एवं सनावद मुख्यालय पर - श्री योगेश चालीसा, जेएमएफसी सनावद रिमांड का कार्य संपादित करेंगे। अवकाश पर रहने वाले अधिकारी का कार्य प्रभार में आने वाले अधिकारी संपन्न करेंगे।
- 4- यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होता है तो उक्त अधिकारी के स्थान पर पदभार ग्रहण करने वाले मजिस्ट्रेट रिमांड ड्यूटी संपादित करेंगे। मजिस्ट्रेट का पद रिक्त होने अथवा पदभार ग्रहण न करने की दशा में रिमांड ड्यूटी उसी क्रम में आगे रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट संपादित करेंगे।
- 5- यदि रिमांड ड्यूटी हेतु निधारित तिथियों में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा कोई प्रोटोकॉल ड्यूटी अधिरोपित की जाती है तो संबंधित अधिकारिता में रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा ही सुचारु रूप से प्रोटोकॉल ड्यूटी के निष्पादन में आवश्यक सहयोग किया जावेगा।
- 6- रिमांड ड्यूटी के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी की रिमाण्ड पेश होने या फरारी वारंटी में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किए जाने पर संबंधित थाना क्षेत्र के न्यायालय द्वारा कार्यवही सम्पादित की जा सकेगी।

16/1/2025
सदाशिव दांगौड

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन
जिला-मण्डलेश्वर (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक 63 /आप./2025

खरगोन, दिनांक // /2025

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- श्रीमान् कलेक्टर, खरगोन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, खरगोन को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि रिमांड ड्यूटी आदेश से संबंधितों को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 4- श्री.....न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी खरगोन/भीकनगाँव/सनावद/बडवाह/मण्डलेश्वर/महेश्वर/कसरावद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 5- जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन को सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- अध्यक्ष अभिषाषक संघ, खरगोन/भीकनगाँव/सनावद/बडवाह/मण्डलेश्वर, महेश्वर/कसरावद की ओर सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।

16/1/2025
सदाशिव दांगौड

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन